दिनांक : .9.2022

प्रति,
मा. राज्यपाल,
राजभवन, तेलंगाना.

विषय : तेलंगाना के विधायक टी. राजासिंह को जान से मारने की धमकी देनेवालों पर कठोर कार्यवाही की जाए तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होने हेतु उन्हें कारागृह से मुक्त करने के संबंध में ...

मा. महोदय,

गोशामहल विधानसभा मतदारसंघ के प्रखर हिन्दुत्वनिष्ठ विधायक टी. राजासिंह को 23 अगस्त 2022 को बंदी बनाया गया । उन पर एक पंथ के श्रद्धास्थानों का कथित अपमान करने का आरोप है । इस प्रकरण में न्यायालय ने उन्हें जमानत भी दी है । उसके पश्चात अन्य एक पुराने प्रकरण में विधायक टी. राजासिंह को पुनः 25 अगस्त 2022 को बंदी बनाया गया । कुल मिलाकर इस प्रकरण में विधायक टी. राजासिंह को जानबूझकर लक्ष्य कर सताया जा रहा है । अब तो उन पर 'पी.डी. एक्ट' के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट कर उन्हें न्यूनतम एक वर्ष जेल में फंसाकर रखने का बडा षड्यंत्र तेलंगाना सरकार द्वारा रचा गया है । उन्हें बंदी बनाने से पूर्व और बंदी बनाने के पश्चात जिहादी प्रवृत्ति के धर्मांधों द्वारा मार डालने की धमकियां दी जा रही हैं । उसी प्रकार 'सर तन से जुदा' जैसे भडकाऊ और मार डालने के नारे लगाते हुए हिंसक आंदोलन किए जा रहे हैं ।

*** इसके अनुसार हम आपके निदर्शन में कुछ सूत्र ला रहे हैं ....**

1. तेलंगाना में हिन्दूद्वेषी कथित हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था । मुनव्वर फारुकी के पहले के कार्यक्रमों का इतिहास देखें तो, वह हिन्दू देवीदेवताओं पर अशोभनीय भाषा में आलोचना करता है । अतः इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाए, ऐसी मांग टी. राजासिंह ने निरंतर की थी; परंतु इस मांग को कचरे की टोकरी में डालते हुए पुलिस सुरक्षा में उसका कार्यक्रम संपन्न हुआ ।

2. इसके पश्चात टी. राजासिंह ने एक वीडियो प्रसारित किया । तदुपरांत 'यदि टी. राजासिंह को अगले 24 घंटों में बंदी नहीं बनाया गया, तो उनके घर को आग लगाएं', ऐसा आवाहन तेलंगाना के कांग्रेस के सचिव राशिद खान ने मुसलमानों को किया । 'कानून और व्यवस्था बिगडने पर मैं उत्तरदायी नहीं रहूंगा । टी. राजासिंह को बंदी बनाएं अन्यथा मैं शहर की कानून व्यवस्था बिगाड दूंगा', ऐसी धमकी भी खान ने दी ।

3. इसी पृष्ठभूमि पर मुसलमानों ने 24 अगस्त को किए एक आंदोलन के समय कलीमुद्दीन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की हत्या करने हेतु भडकाया । कलीमुद्दीन का एक वीडियो सामाजिक माध्यमों में प्रसारित हो रहा है । उसमें उसने 'काट डालो सालोंको, आर.एस.एस.वालों को' ऐसे नारे लगाए हैं । उसका अनेक लोग प्रतिसाद दे रहे हैं ।

4. धर्मांधों द्वारा टी. राजासिंह के विरुद्ध आंदोलन का समय अनेक स्थानों पर हिंसा की गई । 'सर तन से जुदा' के नारे भी लगाए गए । इस प्रकरण में पुलिस ने 90 धर्मांधों को बंदी बनाया था । इसके उपरांत यहां के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस पर दबाव बनाया तथा इन सबको छोड दिया गया ।

5. कांग्रेस के विधायक फिरोज खान ने मुसलमानों को भडकाते हुए कहा कि, टी. राजासिंह को क्षमा मांगनी चाहिए । यदि उसने ऐसा नहीं किया, तो मैं प्रत्येक मुसलमान से कहना चाहता हूं कि राजासिंह भाग्यनगर में कहीं भी दिखाई दे, तो उसे मारें । हम एक बार नहीं, अपितु निरंतर कानून हाथ में लेंगे ।

6. तेलंगाना का वर्तमान वातावरण बिगाडने के लिए मंत्री के.टी. रामा राव, मंत्री महमूद अली और एमआईएम दल के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तरदायी हैं । तेलंगाना की पुलिस ओवैसी के हाथ की कठपुतली बनी हुई है । ओवैसी के समर्थक निरंतर पथराव कर रहे हैं; परंतु उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती ।

*** इस पृष्ठभूमि पर हम मांग करते हैं कि,**

1. जिहादी प्रवृत्ति के विधायक, सांसद, पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रकार की सीधा कानून हाथ में लेने हेतु भडकाया जाता है, तब पुलिस उनपर कार्यवाही करते हुए दिखाई नहीं देती । इसलिए कानून व्यवस्था बिगाडने के इच्छुक संबंधित जनप्रतिनिधियों पर तथा उन पर कार्यवाही न करनेवाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही की जाए ।

2. तेलंगाना में 'तेलंगाना राष्ट्र समिति' की सरकार है तथा वे अल्पसंख्यकों के समर्थक और उनकी चापलूसी करनेवाली है । तेलंगाना सरकार पक्षपात कर रही है । इसलिए राज्य में हिंसाचार करनेवालों को पुलिस द्वारा छोड देने के कारण राज्य की कानून-व्यवस्था और बिगड सकती है । इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करे ।

3. टी. राजासिंह को तेलंगाना सरकार से न्याय मिलने की संभावना दिखाई नहीं देती । इसलिए उनके सर्व अभियोग महाराष्ट्र अथवा कर्नाटक अथवा गोवा आदि पडोसी राज्यों में हस्तांतरित किए जाएं ।

4. टी. राजासिंह को जिस कारागृह में रखा गया है, वहां पहले से ही जिहादी आतंकवादियों को रखा गया है । इस कारागृह में टी. राजासिंह के प्राण संकट में हैं । अतः उन्हें सुरक्षित कारागृह में रखा जाए ।

5. टी. राजासिंह पर पुराने केसेस के अभियोग प्रविष्ट कर उन्हें कारागृह में रखने का प्रयास किया जा रहा है । अतएव तेलंगाना सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता । तेलंगाना सरकार का यह कृत्य संविधान तथा कानून विरोधी है। यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है । इसलिए टी. राजासिंह के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होने हेतु केंद्र सरकार तथा तेलंगाना के राज्यपाल हस्तक्षेप करे ।

6. टी. राजासिंह पर लगाए गए पुराने तथा झूठे आरोप पर प्रविष्ट की गई अनुचित धाराएं निरस्त की जाएं । साथ ही उन्हें जमानत दिलाने में सहायता करें ।

7. जमानत पर छूटने के उपरांत उनपर संभावित आक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए ।

ये मांगे हम कर रहे हैं । कृपया सूचित हों ।

आपका विनम्र,

प्रति :
१. मा. राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
२. मा. प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली